

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/8580-8604 दिनांक 22.8.2013

आदेश संख्या 207/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम)-मार्ट-1/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	प्राप्त एसीआर संख्या	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	योगेश रामदेव	आर-9/92	21.06.1995	21.06.2013	7	2
2.	राम चरण कुम्हार	आर-36/92	20.06.1995	20.06.2013	6+1	3
3.	गहेन्द्र सिंह	आर-38/92	01.08.1995	01.08.2013	6+1	3
4.	गिरधर लाल पुरोहित	आर-67/92	30.06.1995	30.06.2013	7	4
5.	रमेश कुमार वर्मा	आर-74/92	29.06.1995	29.06.2013	7	5
6.	चन्द्रमोहन कुलरिया	आर-88/92	15.07.1995	15.07.2013	7	5
7.	उममेद सिंह राजपुरोहित	आर-97/92	01.07.1995	01.07.2013	7	6
8.	अनौप सिंह राठौड़	आर-115/92	07.07.1995	07.07.2013	6+1	7
9.	मेघराज दाधीच	आर-123/92	20.06.1995	20.06.2013	6+1	7
10.	लक्ष्मी नारायण साध	आर-124/92	10.07.1995	10.07.2013	7	7
11.	माडू राम वर्मा	आर-147/92	12.07.1995	12.07.2013	7	8
12.	मोहन लाल कासोटिया	आर-168/92	16.06.1995	16.06.2013	7	8

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 2, 3, 8 एवं 9 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/8580-8604 दिनांक 22.8.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)